कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर-482001
फोन : 91.761.2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क्र0 / डी0एम0 /

जबलपुर दिनांक

प्रति,

परियोजना प्रबंधक,
परियोजना कियान्वयन इकाई,
म0प्र0 अर्बन डेव्हलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड,
737 *अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर म0प्र0*

विषय :- जबलपुर जिले में मध्यप्रदेश शहरी सेवा उन्नयन कार्यक्रम के तहत् समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.24 हे0 वन भूमि म0प्र0 अर्बन डेव्हलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण कमांक FP/MP/OFC/38908/2019)

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 का पत्र कमांक / एफ–5 / 987 / 2021 / 10–11 / 293 दिनांक 19 / 01 / 2021.

——00——

विषयान्तर्गत लेख है कि वन परिक्षेत्र सिहोरा के अन्तर्गत बीट मझौली कक्ष कमांक ओ–395(नया) ओ–390(पुराना) में 0.24 हे0 क्षेत्र में कटंगी से मझौली मार्ग के किनारे भूमिगत पाईप लाईन डाली जाना है। जिसमें निम्नानुसार 0.24 हे0 वनभूमि प्रस्तावित की गई है :–

परिक्षेत्र	कक्ष कमांक	लंबाई	चौड़ाई मी.	प्रभावित वन भूमि हे. में
जबलपुर	O-395(New) O-390(Old)	1915	1.25	0.24 हे0

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदक संस्था को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन के पत्र कमांक / एफ–11 / 2017 / 10–11 / 2586 दिनांक 01 / 09 / 2017, पत्र क्र. / एफ–5 / 2018 / 10–11 / 4071 दिनांक 31 / 1222018 एवं पत्र कमांक / एफ–5 / 987 / 2021 / 10–11 / 293 दिनांक 19 / 01 / 2021 के द्वारा जारी निर्देश के अन्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार शर्त के अन्तर्गत **सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है** :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृत पाईप लाईन, वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत् की जावेगी। राईट ऑफ वे का तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
3. वन भूमि पर पाईप लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 01 मीटर से ज्यादा चौड़ी एवं 02 मीटर से ज्यादा गहरी न हो।
4. आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि 1,25,200 / – रूपये ऑन लाईन ई–पोर्टल के माध्यम से जमा की जावे।

कक्ष कमांक	रकवा हे0 में	वन की ईको श्रेणी	वन का घनत्व	नेट प्रेजेन्ट वैल्यु प्रति हे0 (लाख में)	एन.पी.व्ही. जमा की जाने वाली राशि
O-395(New) O-390(Old)	0.24	Eco -III	0.2	6.26	1,25,200/-

5. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा। रखरखाव की अनुमति वन मण्डलाधिकारी से प्राप्त की जावेगी।
6. समतलीकरण का कार्य आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गयी खंती से निकाली गयी मिट्टी से किया जायेगा।
7. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा।

8. खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जायेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जायेगा। **अतः वन भूमि के अंदर गुजरने वाले रास्ते से मजदूरों से कार्य कराया जावे।**
9. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक / आवेदक संस्थान से देय होगी।
10. आवेदक/ आवेदक संस्थान **लिखित वचन पत्र** देवें कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती हैं तो वे सभी शर्ते उन्हें मान्य होगी।
11. पाईप लाईन के प्रकरणों में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका क्रमांक/202/95 में सर्वोचच न्यायालय द्वारा दिनांक 12/12/1996 के निर्णय के पालन में राजस्व विभाग के परिपत्र क./16–10–सात/2–ए/90 दिनांक 13/01/1997 में परिभाषित है, के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक/आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि आवेदक ऐसे वनों का विवरण अपने आवेदन में नहीं देते तो स्वीकृति जारी करते समय संबंधित कलेक्टर को आवेदक द्वारा प्रदत्त मानचित्र की प्रति देते हुए यह सूचित किया जाए कि वे आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा की जा रही खुदाई के प्रकरणों में इस तथ्य का ध्यान रखें कि यह स्वीकृत पाईप लाईन वन भूमि के लिए जारी की जा रही है जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है। अगर आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा जानकारी सही जानकारी न देते हुए राजस्व विभाग के अधीन वन क्षेत्र (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) में खुदाई की जाती है। तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वन विभाग को सूचित किया जाये, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही की जा सके।
12. सूर्यास्त के पश्चात् कोई कार्य नही किया जायेगा।
13. कार्य की स्वीकृति/प्राक्कलन, कार्य संपादन कराने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम व पूर्ण पते भी परिक्षेत्र कार्यालय में सूचित किये जावेंगे।
14. कार्य आरंभ करने के पूर्व संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी **सिहोरा** को सूचना दी जावे।

उपरोक्त प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुसार राशि जमा होने एवं पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड होने एवं आवश्यक वचन पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही औपाचारिक स्वीकृति जारी की जावे।

Sd/-
(अंजना सुचिता तिर्की)
वन मंडल जबलपुर
सामान्य वनमण्डल जबलपुर

क्रमांक/डी.एम./501 जबलपुर, दिनांक 21-1-21

प्रतिलिपि :- 1– अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष–भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. /एफ–5/987/2021/10–11/293 दिनांक 19/01/2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2– मुख्य वनसंरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
3– कलेक्टर, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
4– उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
5– वन परिक्षेत्र अधिकारी, सिहोरा की ओर सूचनार्थ।

(अंजना सुचिता तिर्की)
वन मंडल जबलपुर
सामान्य वनमण्डल जबलपुर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
25-1-21